बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–14/आरोप (मुंगेर) 02–47/2021– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

श्री जय प्रकाश स्वर्णकार, प्रभारी अंचल अधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–1036/स्था0, दिनांक–08.11.2021 एवं पत्रांक–1039/स्था0, दिनांक–09.11.2021 से प्रेषित आरोप पत्र में बरियारपुर अंचल अन्तर्गत वर्ष 2021 में बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान की राशि के वितरण में अनियमितता बरतने, बाढ़ प्रभावित क्षतिग्रस्त मकान एवं बाढ़ से मृत व्यक्तियों की अभिलेख वरीय पदाधिकारी द्वारा मांग करने पर उपलब्ध नहीं कराने, छुटे हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु सूची में नाम प्रविष्टि करने की एवज में ₹2000/–रूपये प्रति परिवार वसूली करने, शेष बचे बाढ़ प्रभावित परिवारो को अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान की कार्रवाई नहीं करने के फलस्वरूप विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने, कोविड–19 वैशविक महामारी से मृत 10 व्यक्तियों की सूची में से मात्र 05 वैध आश्रित का ही अनुग्रह अनुदान का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं आपदा संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं रहने जैसे कतिपय आरोपों को प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–892(14) दिनांक–29.11.2021 द्वारा श्री स्वर्णकार को निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर निर्धारित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–907(14), दिनांक–01.12.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री स्वर्णकार द्वारा दिनांक–05.01.2022 से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. श्री स्वर्णकार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प सं0–240(14) दिनांक–16.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा समाहर्त्ता, मुंगेर से अनुरोध किया गया कि इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपने स्तर से किसी जिला अथवा अनुमंडलय स्तरीय योग्य एवं जानकार पदाधिकारी को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। तदालोक में समाहर्त्ता, मुंगेर के ज्ञापांक–472/स्था0 दिनांक–17.05.2022 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया।

5. श्री स्वर्णकार दिनांक–31.01.2023 को बार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0–571(15) दिनांक–23.03.2023 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(B) के प्रावधानों के तहत सम्परिवर्तित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0–2187(15) दिनांक–18.10.2024 द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि–31.01.2023 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया गया गया।

6. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के पत्रांक–734 दिनांक–03.04.2024 द्वारा श्री स्वर्णकार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी पर लगाये गये आरोपों को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

तदालोक में श्री स्वर्णकार से विभागीय पत्रांक–1037(15) दिनांक–11.06.2024 से द्वितीय कारण–पृच्छा/ अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री स्वर्णकार द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन दिनांक–02.07.2024 विभाग में समर्पित किया गया।

7. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त श्री स्वर्णकार का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(ग) के तहत "पेंशन राशि का 05(पाँच) प्रतिशत 01(एक) वर्ष के लिए कटौती का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

8. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जय प्रकाश स्वर्णकार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरियापुर, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त **(दिनांक–31.01.2023)** के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(ग) के तहत **"पेंशन राशि का 05(पाँच) प्रतिशत 01(एक) वर्ष के लिए कटौती का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/आरोप (मुंगेर) 02–47/2021– ....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................................

निबंधित
ई–मेल

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्त्ता, मुंगेर/आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/श्री जय प्रकाश स्वर्णकार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरियापुर, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता–G-133, 2nd floor, Sector 41, Noida, UP-201301, Mobile No-9631881848O, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/आरोप (मुंगेर) 02–47/2021– ....483..........(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–07/04/2026

प्रतिलिपि :–माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री जय प्रकाश स्वर्णकार** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

7/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Jai prakash swarnkar_CO(Baryarpur_munger)_5 % Pension 1 Years-.doc

५